न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
वि0एल0आर0एक्ट वाद संख्या–27 / 2015
नागेश्वर यादव बनाम बिहार सरकार

आदेश की कम संख्या और तारिख :	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारिख सहित
19/03/15	**आदेश** पुकार पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को विस्तारपूर्वक सुना। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक की ओर सें **Bihar Land Reforms { Fixation Of Ceiling and Acquisition Of Surplus Land} Act** की धारा 45 (B) के अन्तर्गत वाद आवेदन दायर किया गया हैं तथा अनुरोध किया गया है कि सिलिंग वाद सं0–42 / 1973–1974 से संबंधित अभिलेख प्राप्त करते हुए अंचल अधिकारी को आवेदक की भूमि का पर्चा वितरण नही करने का निर्देश दिया जाय। आवेदक के आवेदन पर विचार किया गया। इस संबंध में भूमि सुधार आयुक्त, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के विभागीय पत्र 11 / एल0 आर0 10–28 / 89–1492 पटना दिनांक– 15.05.89 की कंडिका–3 में स्पष्ट प्रावधान है कि इस न्यायालय को बिहार भूमि सूधार (अधिकतम सीमा निर्धारण एवं अधिशेष भूमि अर्जन) अधिनियम 1962 की धारा 45 (बी0) के अन्तर्गत वादो को पुनर्जीवित करने का अधिकार नही है। अतएव आवेदक द्वारा दाखिल वाद आवेदन पर सुनवाई करना तथा किसी प्रकार का निर्णय लिया जाना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से परे है। अतः उपरोक्त विवेचना के आलोक में आवेदक के आवेदन को खारिज किया जाता है। आवेदक यदि चाहे तो सक्षम न्यायालय मे वाद दायर कर सकते है। 19/3/15 समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा।	